न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 28 / 2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00532

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

सुरेशकुमार पुत्र हीरालाल
जाति भील राणा निवासी संजय नगर
पुराडा रोड सुमेरपुर,

1. गोरधनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. फरसाराम पुत्र चुन्नीलाल
   जातिगण गर्ग, निवासीगण
   खाडिया, संजय नगर सुमेरपुर,
   तहसील सुमेरपुर
3. लालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति गांछा
   निवासी जैन मंदिर के पिछे
   घांचियों का बास, सुमेरपुर
4. मदनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
   जाति राजपूत निवासी बेडा हाल
   हरिओम कॉलोनी छावनी
   शिवगंज जिला सिरोही
5. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत पोमावा
   पंचायत समिति सुमेरपुर

<u>पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अनुपस्थित :–
अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 13-1-21

यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध मिसल संख्या 4 पट्टा क्रमांक 2688 जारी दिनाँक 12.08.99 जो संकल्प संख्या – दिनाँक 30.08.99 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम सेवक ने जरिये पत्रांक ग्रा.प.पोमावा / 2014 / 505 दिनांक 09.10.14 के प्रार्थी को एवं 2015–16 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी वांछित मिसल, पट्टा बुक ग्राम पंचायत में नहीं है एवं ना ही मुझे चार्ज में प्राप्त हुई है तथा जरिये पत्रांक 56 दिनांक 07.06.2016 के अवगत कराया कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में अप्रार्थी संख्या 5 ग्राम पंचायत पोमावा द्वारा पट्टा जारी किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 उक्त पट्टा सुदा आराजी का प्रथम क्रेता है तथा अप्रार्थी संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 3 से उक्त आराजी का क्रेता है जो आज भी वह मालिकाना हक रखता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को निगरानी में पक्षकार नियोजित किया गया है वकील प्रार्थी ने बहस में कथन करते हुए जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य होना बताते हुए निवेदन किया कि विवादित विक्रय विलेख में वर्णित आराजी मौके पर राजस्व भूमी है जैर [illegible] द्वारा नुजूल आबादी भूमी मे जारी नही कर राजस्व भूमी खसरा नम्बर [illegible]5 [illegible] में जारी किया गया है। जो प्रार्थी के भाई नरेन्द्र उर्फ पपूड़ा [illegible] है। जिसमें जारी विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा नरेन्द्र उर्फ पपूड़ा [illegible] से धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नि[illegible]त रूप से जारी किए [illegible] में स्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....................2

जो भूमी पर प्रार्थी के व्यवस्थित कब्जे को दर्शाता है जिससे नरेन्द्र पर समय–समय पर जुर्माना भी आरोपित किया है जैर निगरानी भूमी राजस्व भूमी है इसी में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जो इसके पड़ोस से स्पष्ट है। जारी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पचांयत राज नियमों के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी नहीं किया गया है न ही इस बाबत संकल्प लिए गए है विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार प्राथमिक निर्णय लिए जाकर या निलामी किए जाने सम्बन्धी किसी भी कार्यवाही को सही रूप से प्रतिपादित नही कर मात्र पट्टा जारी कर दिया गया है। जैर निगरानी आराजी जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के हक में जारी किया गया उस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का निर्विवादित कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होने से भी विक्रय विलेख निरस्त योग्य है जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी की भूमी हड़पने की नियत से किया गया है। प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसे दबाकर उसकी भूमी को हथियाना चाहते है। उक्त सभी कारणों से जैर निगरानी पट्टा विधी सम्मत जारी नहीं किया जाने से निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण वक्त बहस उपस्थित नहीं। न ही उनके हाजिर अदालत सहायक अधिवक्ता द्वारा ही बहस की गयी। पूर्व में 14 बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है। फिर भी वकिल अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी की बिना बहस सुने ही बाद अवलोकन पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय हेतु विवेचन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे को ग्राम पंचायत की नजूल आबादी भूमी में जारी नहीं कर राजस्व भूमि में जारी करना बताया तथा उल्लेख किया कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत पोमावा के खसरा नम्बर 785 मीन में जारी किया गया है तथा अपने तर्को की ताईद में खसरा परिवर्तनशील की फोटोप्रतियां वर्ष 1993–94, 94–95, 1995–96 तथा 1994 में धारा 91 के तहत जारी नोटिस की फोटो प्रतियां भी पेश की गई। उक्त फोटो प्रतियों से खसरा नंबर 785 मीन मे ही उक्त पट्टा जारी किया इसकी पुष्टि कतई नहीं हो रही है न दस्तावेजी सबूतों से यह सिद्ध होता है न ही पट्टे में इसका उल्लेख है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों मे इस बात का प्रमाण कही नहीं है कि उक्त आराजी में ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अर्थात प्रार्थी के अधिवक्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे कि जैर निगरानी पट्टा राजस्व भूमी में जारी किया गया न कि नजूल आबादी भूमी में। ग्राम पंचायत पोमावा से रेकर्ड तलब करने पर उन्होंने जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी ग्राम पंचायत पोमावा का प्रस्ताव रजिस्टर, मिसल एवं पट्टा बुक नहीं होना जाहिर किया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करते वक्त राजस्थान पंचायत राज नियम 144 से 157 तक की पालना की गई अथवा नहीं एवं ग्राम पंचायत द्वारा किन नियमों को अनदेखी कर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया यह विवेचन भी नहीं किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप निगरानी में अधिवक्ता प्रार्थी निगरानी के आधारों को साबित नही कर पाया है कि पट्टा राजस्व भूमि में जारी किया गया है अतः निगरानी खारिज की जाती है यदि प्रार्थी यह प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेज या साक्ष्य जुटा लेता है कि जैर निगरानी आराजी राजस्व भूमि नहीं होकर आबादी भूमि हैं तो वह दौबारा निगरानी लगाने हेतु स्वतन्त्र [illegible]

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:42 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 28 / 2017
जीसीएमएस नम्बर : 2017 / 00532

प्रार्थी
सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति भील राणा निवासी संजय नगर, पुराड़ा रोड़, सुमेरपुर

बनाम अप्रार्थीगण
1. गोरधनलाल पुत्र चुन्नीलाल
2. फरसाराम पुत्र चुन्नीलाल जातिगण गर्ग निवासीगण खाडिया, संजय नगर, सुमेरपुर
3. लालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति गांछा निवासी जैन मन्दिर के पीछे, घांचियों का बास, सुमेरपुर
4. मदनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बेडा हाल हरिओम कॉलोनी, छावनी, शिवगंज जिला सिरोही
5. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत पोमावा पंचायत समिति, सुमेरपुर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अनुपस्थित – अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

–::संशोधित आदेश ::–

दिनांक :– 8-2-21

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2021 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी याचिका खारिज़ की गई थी। उक्त निर्णय के पेज संख्या 2 के चरण संख्या 3 की पंक्ति संख्या 4 में यह इबारत अंकित की गई है कि ''.....जैर निगरानी आराजी राजस्व भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है, तो वह दौबारा निगरानी लगाने हेतु स्वतन्त्र है।'' जबकि वास्तविक रूप से यह इबारत अंकित होनी थी कि ''.....जैर निगरानी आराजी आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व भूमि है, तो वह दौबारा निगरानी लगाने हेतु स्वतन्त्र है।'' यह इबारत मात्र टंकण की त्रुटी से अंकित हुई है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत दुरूस्ती योग्य हैं।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 के पेज संख्या 2 के चरण संख्या 3 की पंक्ति संख्या 4 में यह इबारत अंकित की गई है कि ''. ....जैर निगरानी आराजी राजस्व भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है, तो वह दौबारा निगरानी लगाने हेतु स्वतन्त्र है।'' के स्थान पर ''.....**जैर निगरानी आराजी आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व भूमि है, तो वह दौबारा निगरानी लगाने हेतु स्वतन्त्र है।**'' प्रतिस्थापित किया जाता हैं। तदनुसार आदेश दिनांक 13.01.2021 को पढा व समझा जावे। यह मूल आदेश, प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 का आवश्यक भाग एवं अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:42 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली